

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District JAIPUR CITY P.S. Year 2025
(जिला): (SOUTH) (थाना): MANSAROVAR (वर्ष):
2. FIR No. 0586 Date and Time of FIR 13/07/2025 15:16 बजे
(प्र.सू.रि.सं): (एफआईआर की तिथि/समय):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340(2)
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	329(3)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From 08/05/2022 Date To 01/10/2024
(दिनांक से): (दिनांक तक):
- Time Period पहर Time From 00:00 बजे Time To 00:00 बजे
(समय अवधि): (समय से): (समय तक):
- (b) Information received at P.S. Date 13/07/2025 Time 15:09 बजे
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): (दिनांक): (समय):
- (c) General Diary Reference Entry No. 046 Date & Time 13/07/2025 15:09:00 बजे
(रोजनामचा संदर्भ) : (प्रविष्टि सं.): (दिनांक एवं समय)
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. पश्चिम, 4.62 किमी Beat No. बदरवास
(थाने से दिशा और दूरी): (बीट सं.):
- (b)Address(पता): BADARWAS, MANSAROVAR JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): GHANSHYAM SHARMA

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHIVRAM SHARMA

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1962

(d)Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	3, NANDPURI 22 GODAM, SODALA, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	3, NANDPURI 22 GODAM, SODALA, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9414059292

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
--------------------	---------------	------------------	---------------------------------------	------------------

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
--------------------	--	------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना मानसरोवर (दक्षिण), जयपुर राजस्थान विषय - प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने बाबत। श्रीमान जी, प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है- 1. यह कि प्रार्थी पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन नम्बर 1560 एल / 61 का अध्यक्ष है। हमारा कार्यालय लक्ष्मी धर्मकांटा, 22 गोदाम जयपुर में स्थित है हमारी सोसायटी कॉपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था है। हमारी सोसायटी काश्तकारों से कृषि भूमि क्रय कर उसको नियमानुसार भूखंडों में विभाजन कर आवासीय भूखंड आवंटन का विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है। हमारी सोसायटी ने दिनांक 10.04.1981 को कृषि भूमि खसरा नम्बर 152 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बदरवास तहसील सांगानेर जिला जयपुर जरिये इकरारनामा क्रय की थी और कांलातर में विभिन्न इकरारनामों के माध्यम से सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त कर उस पर सोसायटी की स्कीम नम्बर 11 ए. गोपालपुरा बाईपास तैयार कर अपने सदस्यों को आवंटित की और प्रार्थी क्रय करने की दिनांक से उक्त कृषि भूमि का मालिक है तथा आवंटन के पश्चात अपने सदस्यों के माध्यम से उक्त सम्पत्ति पर मालिक एवं कब्जेधारी है। उक्त कृषि भूमि के खसरा नम्बर 152 के शेष कृषि भूमि का इकरारनामा नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड ने कर रखा था और उसने उक्त कृषि भूमि पर अपनी स्कीम राणी सती नगर योजना के नाम से सृजित कर अपने सदस्यों को आवंटित की थी। नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने प्रार्थी समिति द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि के संबंध में दिनांक 18.09.1982 को एक पारस्परिक विनिमय पत्र निष्पादित किया था जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं करने के संबंध में गवाहान की उपस्थिति में दस्तावेज निष्पादित किये थे इस प्रकार प्रार्थी समिति उक्त सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी हो गया। प्रार्थी समिति अपने 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अपने सदस्यों के माध्यम से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही थी। उक्त स्कीम में प्रार्थी समिति के वर्तमान अध्यक्ष व उसके परिवार के सदस्यों के नाम भी सोसायटी द्वारा प्लॉट आवंटित किये गये थे और सभी सदस्यगण अपने अपने प्लॉटों पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे थे। वर्ष 2000 में नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के कुछ सदस्यों के विरुद्ध एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जयपुर शहर कम 2 के यहाँ पर उनवानी प्रकरण नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम शिवराम शर्मा प्रकरण संख्या 594 / 2000 प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम रूप से मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान किया जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, और माननीय न्यायालय के आदेश पर उक्त मामले में मौका कमीश्रर नियुक्त हुआ और मौका कमीश्रर ने सभी पक्षों की उपस्थिति में दिनांक 13.11.2000 को मौके का निरीक्षण किया और मौके पर पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति, का कब्जा पाया गया। उक्त मामले में दौरान दावा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का आदेशानुसार पूर्ववत पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति, व उसके सदस्यों का कब्जा निरंतर जारी रहा और माननीय न्यायालय ने उक्त वाद दिनांक 30.04.2022 को अंतिम रूप से निर्णित करते हुये वादी का वाद खारिज फरमा दिया। जिसकी अपील नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति व अन्य ने माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय के यहाँ प्रस्तुत किया और माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 3 जयपुर नगर द्वितीय ने दिनांक 08.05.2022 को पुनः यथास्थिति के आदेश प्रदान किये। यह कि इसी दौरान पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति ने इस सम्पत्ति पर अपने आवंटित शुदा प्लॉटों पर कुछ लोगों को कार्य करने की अनुमति दे रखी थी जो कि बाद में उक्त सम्पत्ति पर अपने परिवार सहित रहने लगे और कुछ विवाद उत्पन्न किये परंतु इस दौरान भी समिति के सदस्यों के माध्यम से समिति का कब्जा रहा। जिसके सम्बंध मे नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा दर्ज कराये गये मु.न. 62/2000 पुलिस थाना मानसरोवर मे अनुसंधान से प्रमाणित नहीं जाने पर FR न. 55/2001 प्रस्तुत की गई इसके अतिरिक्त जविप्रा द्वारा बनाये गये सेक्टर प्लान (v) में भी पथिक भवन निर्माण सहकारी लिमिटेड का कब्जा दर्शाया गया है। यह कि नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति के कुछ पदाधिकारियों / सदस्यों ने एवं कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर जिनमें प्रमुख रूप से 1अनन्त शर्मा पुत्र स्व. श्री जगदीश शर्मा मोबाईल नम्बर 9829063489, पता होटल गोल्डन ट्यूलिप, एम.आई. रोड, जयपुर, 2- प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा निवासी वर्ल्ड ट्रेड पार्क (WTP) के पास, मालवीय नगर, जयपुर, 3 – जीतराम चौधरी उर्फ जीतूभामू पुत्र छगन लाल चौधरी जिनका मोबाईल नम्बर 9413550707, 9694311526, स्थाई निवासी - ग्राम केरिया, निमेडा, द्वारिकानाथपुरा,

तहसिल फागी, जयपुर, राजस्थान, हाल निवासी 110-111 स्काई हेरिटेज माहारानी गार्डन के पीछे, - मांगयावास, जयपुर, 4- रमेश शर्मा पुत्र श्री लल्लू लाल शर्मा, जाति ब्रह्मण, निवासी-ए-34, सैन कॉलोनी, पॉवर हाउस रोड, जयपुर 5- कलानाथ शास्त्री पुत्र श्री मथुरानाथ शास्त्री 6 – कमलानाथ शर्मा पुत्र श्री मथुरानाथ शास्त्री, निवासीयान मंजू निंकुज, सी-8, पृथ्वीराज मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 7 - नवाब खाँ पुत्र श्री एम.एम. खाँ, निवासी-116, पेन्टर कॉलोनी, नाहरी का नाका, जयपुर, 8-श्रीमती मीना मेघानी पुत्री स्व. श्री सुरेश वासवानी, निवासी-42, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर, 9 - संजू पत्नी स्व० श्री सुरेश वासवानी, निवासी-42, सिंधी कॉलोनी बनीपार्क, जयपुर आदि ने पुलिस महकमें में अपनी सांठ गांठ बताते हुये गुण्डों के साथ मिलकर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुये नाजायज रूप से प्रार्थी समिति के सदस्यों के प्लॉटों पर षडयंत्र पूर्वक सितम्बर/ अक्टूबर 2024 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसमें रेडीमेन्ट बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करते हुये कब्जा कर लिया और उन्हें कोर्ट का स्टे आदेश एवं अन्य दस्तावेज दिखाने पर कहा कि कोर्ट के ऐसे स्थगन आते-जाते रहते है और हमनें उक्त भूमि के दस्तावेज बना लिये है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति को प्रार्थी समिति की कृषि भूमि खसरा नम्बर 152 ग्राम बदरवास तहसील सांगानेर जिला जयपुर के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज बनाने का कोई अधिकार नहीं है और न ही नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति का कोई कब्जा रहा है और न ही कभी मालिक रहे है। इन लोगों ने प्रार्थी समिति और सदस्यों के निर्माणात को तोड़कर उस बाहुबल के पर अनाधिकृत रूप से असामाजिक तत्वों के माध्यम से आधार पर कब्जा कर लिया है तथा उनके द्वारा यह जाहिर किया जा रहा है कि उन्होने इसके फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर लिये है। इस प्रकार इन लोगों ने आपराधिक षडयंत्र रच कर प्रार्थी समिति व उसके सदस्यों के आवंटितशुदा प्लॉटों पर गुण्डों के सहयोग से कब्जा कर लिया है। इस सम्बंध में हमनें अतिक्रमण किये जाने कि सूचना पुलिस को दी थी लेकिन पुलिस द्वारा हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कि गई ओर आपसी सहमती से ही समझौता कर विवाद हल करने के लिए कहा। मौके पर बहुत से गुण्डे बदमाशों का जमघट लगा रहने पर हम उसका विरोध नहीं कर पाये। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त मामलें में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर फर्जी दस्तावेज बरामद कर मौके का कब्जा प्रार्थी समिति को व उसके सदस्यों को वापस दिलवाने की कृपा करे। दिनांक दिनांक पार्थी समिति (पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जरिये अध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा पुत्र स्व. शिवराम शर्मा संलग्न दस्तावेजात 1. इकरारनामा दिनांक 10.04.1981 2. इकरारनामा दिनांक 15.02.1982 3. विनिमय पत्र दिनांक 18.09.1982 4. स्थगन आदेश दिनांक 08.05.2022 5. मौका कमीश्रर रिपोर्ट 13.11.2000 6. सु. न. 62/2001 में पुलिस थाना मानसरोवर द्वारा प्रस्तुत FR न 55 / 2001 की प्रति 7. समिति की योजना स्कीम नम्बर 11 ए का नक्शा 8. समिति की योजना स्कीम नम्बर 11 ए की सदस्यता सूची 9. जविप्रा द्वारा बनाये गये सेक्टर प्लान (V) की प्रति 10. निर्णय प्रकरण नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम शिवराम शर्मा व अन्य दिनांकित 30.04.2022 11. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम 3 जयपुर नगर द्वितीय का आदेश दिनांक 08.05.2022 दिनांक दिनांक 13/07/2025 प्रार्थी समिति (पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जरिये अध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा पुत्र स्व० शिवराम शर्मा..... कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मजमून की टाईपशुदा रिपोर्ट श्री घनश्याम शर्मा पुत्र स्व० श्री शिवराम शर्मा उम्र 63 वर्ष R/O प्लॉट नं. 3 नन्दपुरी बाईस गोदाम PS सोडाला जयपुर (S) हाल अध्यक्ष पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड कार्यालय लक्ष्मीधर्म कांटा बाईस गोदाम रजिस्ट्रेशन नं. 1560एल/61 ने उप. थाना होकर पेश की जिसे अक्षर शः अक्षर कम्प्यूटर में फीड कराया जाकर पढकर सुनाया सही मान अपने हस्ताक्षर किये। मजीद दरियाफ्त पर बताया कि आरोपी पक्ष लगातार विवादित भूखण्डों का सेटलमेन्ट आपस में बैठकर किये जाने का विश्वास दिलाते रहे इस कारण रिपोर्ट कराने में देरी हो गई। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 329(3) BNSके वकु में आना पाया जाने पर अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर मन SHO लखन सिंह खटाना CI मशरुफ तफ्तीश होता हूँ। प्रतिया FIR नियमानुसार जारी की गई, एक प्रति FIR मुस्तगीस को उपलब्ध कराई गई। अभियोग संख्या CCTNS जनित दिया जायेगा।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

Lakhan Singh Khatana (निरीक्षक) /

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

Rank

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Lakhan Singh Khatana

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):

